उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग – 1
संख्या– 51 /07(130)–2016/XXVII(1)/2019
देहरादून : दिनांक: 18 जनवरी, 2019

प्रेस विज्ञप्ति

सामान्य सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना सं0–101/XXVII(1)/2009, दिनांक **12.02.2009** के अनुसार जारी **7.45 प्रतिशत** उत्तराखण्ड राज्य विकास ऋण, 2018 की बकाया शेष राशि की **17 फरवरी, 2019** तक देय समस्त ब्याज के साथ सममूल्य पर चुकौती **18 फरवरी, 2019** को की जायेगी। किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त तारीख को परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत छुट्टी घोषित किये जाने पर उस राज्य में स्थित अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा उक्त ऋण की चुकौती पिछले कार्य दिवस को की जायेगी। उक्त ऋण पर दिनांक **18 फरवरी, 2019** से और उसके बाद कोई ब्याज उपचित नहीं होगा।

2– गवर्नमेंट सेक्युरिटीज रेग्यूलेशन्स, 2007 के सब–रेग्यूलेशन 24 (2) और 24 (3) के अनुसार पेमेंट ऑफ मेच्युरिटी प्रोसीट्स पंजीकृत सरकारी प्रतिभूति धारक की सबसिडियरी जनरल लेजर अथवा कन्सटियूट सबसिडियरी जनरल लेजर एकाउन्ट अथवा स्टाक सार्टिफिकेट के रूप में रखी है, का भुगतान सभी सुसंगत विशिष्ठताओं को सम्मिलित करते हुए पे आर्डर के माध्यम से उसके बैंक खाते अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से क्रेडिट कर दी जायेगी। प्रतिभूतियों के भुगतान के सम्बन्ध में मूल सब्सक्राइबर अथवा सबसिक्वेंट होल्डर्स सरकारी प्रतिभूतियों को, जैसी भी स्थिति हो, सम्बन्धित बैंक, कोषागार और उपकोषागार अथवा स्टेट बैंक की शाखा अथवा इसकी सबसिडियरी ब्रांच जहॉ पर ब्याज के भुगतान हेतु मुखांकित/पंजीकृत हों, जैसी भी स्थिति हो, सुसंगत विशिष्ठताओं के अनुसार भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

3– नियत तारीख को चुकौती में सुविधा हो, इस दृष्टि से **7.45 प्रतिशत उत्तराखण्ड राज्य विकास ऋण 2019** के धारकों को चाहिए कि वे अपनी प्रतिभूतियां लोक ऋण कार्यालय, कोषागार, उपकोषागार या भारतीय स्टेट बैंक, उसके सहयोगी बैंक की शाखा, जहॉ वे ब्याज के भुगतान के लिए मुखांकित/पंजीकृत हों, के पास 20 दिन पहले प्रस्तुत करें। चुकौती के लिए प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियां उनके पीछे की ओर निम्न प्रकार से विधिवत् उन्मोचित की जानी चाहिए :

"प्रमाण पत्र पर देय मूलधन प्राप्त हुआ"।

4– यह विशेष रूप से नोट किया जाना चाहिए कि ऐसे स्थानों पर जहां भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहयोगी बैंक की शाखा द्वारा कोषागार कार्य किया जाता है। वहां यदि प्रतिभूतियां स्टॉक प्रमाण पत्र के रूप में हों तो उन्हें सम्बन्धित बैंक की शाखा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि कोषागार या उप कोषागार में।

Scanned by CamScanner

5— जहां पर प्रतिभूतियां भुगतान के लिए मुखांकित की गयी हों उससे इतर स्थानों पर भुगतान के इच्छुक धारकों को चाहिए कि वे उन्हें विधिवत् उन्मोचित करते हुए सम्बन्धित लोक ऋण कार्यालय के पास पंजीकृत एवं बीमाकृत डाक द्वारा भेज दें। उक्त लोक ऋण कार्यालय किसी कोषागार/उप कोषागार या उत्तराखण्ड राज्य में सरकारी कोषागार के कार्य करने वाली भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहयोगी बैंकों की शाखा में देय ड्राफ्ट जारी करते हुए भुगतान करेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

Scanned by CamScanner